F. No. CBEC - 20/16/04/2018 - GST

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

जी एस टी पॉलिसी विंग

****

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त /प्रधान आयुक्त / आयुक्त केंद्रीय कर (**सभी**)

प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक (**सभी**)

महोदया/महोदय,

विषय: अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज पर जी एस टी की प्रयोज्यता से संबन्धित स्पष्टीकरण-की बावत.

एक्वेटेड मंथली इन्स्टालमेंट्स(ई एम आई) का देर से भुगतान करने पर जो विलंब प्रभार लगाया जाता है, उस पर लगाने वाले जीएसटी के बारे में व्यापार और उद्योग जगत से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। (ई एम आई) एक निर्धारित राशि होती है जिसका भुगतान ऋण लेनेवाला ऋण देने वाले को हर महीने की एक निर्धारित तारीख को करता है। ई एम आई में हर महीने ब्याज के साथ-साथ मूलधन का भी भुगतान करना होता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज समेत सम्पूर्ण ऋण का भुगतान हो जाता है। यदि किसी ई एम आई का निर्धारित तारीख को भुगतान नहीं हो पाता है तो ई एम आई के इस विलंब भुगतान पर अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज लगाया जाता ।

2. अब इस बिलम्बित ऋण पर लगाने वाले अतिरिक्त / दंडात्मक ब्याज पर जी एस टी की प्रयोज्यता के बारे में संदेह पैदा किए जा रहे हैं। अर्थात क्या इस पर अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 की क्रम संख्या 27 के अनुसार जी एस टी से छूट मिलेगी या ऐसे ब्याज को इस प्रकार होने वाले नुकसान का प्रतिफल माना जाएगा। [जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे सी जी एस टी एक्ट से संदर्भित किया गया है) की अनुसूची II की प्रविष्टि 5(ङ), अर्थात 'किसी कार्य से प्रविरत रहने,किसी कार्य या स्थिति को सहने, या कोई कार्य करने, के अंतर्गत आने वाली जी एस टी के अंतर्गत सेवाओं की कर योग्य अलग आपूर्ति मानी जायेगी] । इस विधि के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने सी जी एस टी एक्ट की धारा 168 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतदद्वारा, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है।

3. सामान्यतया ई एम आई वाले संव्यवहार के दो विकल्प प्रचलित हैं: -

- **<u>स्थिति - 1</u>:** X एक मोबाईल फोन Yको बेचता है। इस मोबाइल फोन की कीमत 40,000/- रूपये है। हालाकि, X देता है Y को यह विकल्प देता है की वह इसका भुगतान किश्तों में कर सकता है अर्थात हर अगले महीने की 10 तारीख के पहले 11,000 रूपये की मासिक किश्त से 4 महीने में भुगतान कर सकता है (Rs 11,000/- *4 = Rs. 44,000/-). । इसके अलावा अनुबंध के अनुसार यदि Y की ओर से भुगतान करने में निर्धारित तारीख से विलंब हो जाता है तो इस विलंब के लिए Y 500/- रूपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज/ दंड देगा। कुछ अन्य मामलों में X मोबाइल फोन के लिए Y से 40,000/- रूपये लेता है और Y को रिन देने के लिए अलग से एक इनवाइस जारी करता है, जिसका प्रतिफल यह है की वह उससे 2.5% की दर से हर

महीने ब्याज लेगा और यदि इस भुगतान में बिलंब होता है तो वह 500 रूपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज लेगा।

- **<u>स्थिति - 2</u>:** X एक मोबाइल फोन Y को बेचता है। इस फोन की कीमत 40,000/- रूपये है। Y के पास यह विकल्प है की वह इस मोबाइल को खरीदने के लिए M/s ABC:Ltd से @2.5% प्रति माह की दर से ऋण ले सकता है। M/s ABC:Ltd से मिलने वाले ऋण की शर्त यह है कि Y चार माह की अवधि में यह ऋण लौटाएगा। यदि इस भुगतान में कोई विलंब होता है तो उसे 1.25% की दर से अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

4. सी जी एस टी एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (2) के उप-वाक्य (डी) के प्रावधानों के अनुसार, आपूर्ति के मूल्य में "*किसी आपूर्ति के प्रतिफल के भुगतान में होने वाले विलंब की स्थिति में लगाया जाने वाला ब्याज या विलंब शुल्क या दंड भी शामिल होगा।*" इसके अलावा अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 27 के अनुसार, "*जहां तक प्रतिफल को ब्याज या डिस्काउंट (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में होने वाले ब्याज से भिन्न)" के माध्यम से प्रकट किया गया हो, (क)जमा, ऋण और अग्रिम को देकर प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट प्रदान की गयी है।* इसके अलावा अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के उप-वाक्य 2(य ट) के अनुसार " '*ब्याज' से अभिप्राय ऐसे ब्याज से है जो की उधार लिए गए धन या ऋण (जिसमें जमा, दावा और इसी प्रकार के अन्य अधिकार या दायित्व भी आते हैं) पर किसी भी प्रकार से देय होता हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई सेवाशुल्क या अन्य प्रभार नहीं आता है जो कि उधार लिए गए धन या ऋण के बारे में हो या ऐसी किसी क्रेडिट सुविधा के बारे में हो जिसक कि उपयोग नहीं किया गया हो*"।

5. तदनुसार उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त पैरा 3 में दर्शाई गयी दोनों ही स्थितियों में जी एस टी कि प्रयोज्यता इस प्रकार होगी:

- **स्थिति 1:** सी जी एस टी एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (2) के उप-वाक्य (घ) के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक ब्याज की राशि को भी आपूर्ति मूल्य में शामिल किया जाना है। X और Y के बीच संव्यवहार कर वाली वस्तु अर्थात मोबाइल फोन की आपूर्ति का हुआ है। तदनुसार, दंडात्मक ब्याज पर भी कर लगेगा क्यों की यह मोबाइल के मूल्य में शामिल हो जाएगा, चाहे इन्वाइसिंग का ढंग कुछ भी क्यों न हो।
- **स्थिति 2:** अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज Y और M/s ABC:Ltd के बीच हुये संव्यवहार पर लगाया जा रहा है और यह अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) , दिनाक 28.06.2017 के क्रम संख्या 27 के दायरे में आता है। तदनुसार, इस मामले में Y और M/s ABC:Ltd के बीच हुये संव्यवहार पर भारित 'दंडात्मक ब्याज' अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 के दायरे में नहीं आता है। X द्वारा Y को दिये गए मोबाइल का मूल्य जी एस टी को लगाए जाने के लिए 40,000/- रूपये माना जाएगा।

6. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज का संव्यवहार सी जी एस टी एक्ट की अनुसूची II की प्रविष्टि 5(ङ), अर्थात किसी कार्य से प्रविरत रहने,किसी कार्य या स्थिति को सहने, या कोई कार्य करने, के दायरे में नहीं आता है। क्यों की इस अतिरिक्त/ दंडात्मक ब्याज का लगाया जाना अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 में दी गयी "ब्याज" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। आगे और भी स्पष्ट किया जाता है कि, कोई भी सेवा शुल्क/प्रभार या अन्य कोई प्रभार, जो कि M/s ABC Ltd किसी जमा, ऋण या अग्रिम को दे कर लगाया हो, अधिसूचना संख्या 12/2017 केन्द्रीय

कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में ब्याज की दी गयी परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। । अतः इसको छूट नहीं मिल सकती है।

7. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए उपयुक्त व्यापारिक अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएँ।

8. इस परिपत्र के परिचालन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाय। हिंदी संस्करण का अनुसरण करेंगे ।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जी एस टी)